पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-III

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
गया (बिहार)

पटना, दिनांक

विषयः– ***Construction of Four Lane Access Controlled Greenfield Highway From Shivrampur (Ch-55+002) to Ramnagar (Ch-109+324) Pkg-2 of NH-119D Under Bharatmala Pariyojana in the State of Bihar on Hybrid Annuity Mode-Reg. अन्तर्गत Embankment एवं Subgrade निर्माण कार्य मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव के संबंध में ।***

प्रसंगः– ***आपका पत्रांक–1415 दिनांक–14.11.2025***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि मुख्य अभियंता, पटना परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय के अधीन Construction of Four Lane Access Controlled Greenfield National Highway From Shivrampur (Ch-55+002) to village Ramnagar (Ch-109+324) (Package-II) of NH-119D Under Bharatmala Pariyojana in the State of Bihar on Hybrid Annuity Mode अन्तर्गत Embankment एवं Subgrade निर्माण के लिए लोकाईन नदी में नालंदा जिलान्तर्गत ग्राम-मंडाछ से ग्राम पेंदापुर, मुसाढी मोड से बहापर पुल, सलेमपुर पुल से पटना जिला के अरई वीयर तक तथा भुतही नदी में ग्राम-घाना बिगहा से ग्राम सिम्हारी तक मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव कार्य हेतु निम्नवत शर्तो के साथ विशेष परिस्थिति में, जिससे की नदी के जलप्रवाह/तटबंधों/जमींदारी बाँधों/संरचनाओं/Morphological behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, को दृष्टिगत रखते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

1 नदी के दोनों तरफ किनारे से 4-4 मी0 छोड़ कर फल्गु/लोकाईन नदी एवं भुतही नदी के बेड में अधिकतम 2.0 मी0 की गहराई में Embankment एवं Subgrade निर्माण हेतु मिट्टी की खुदाई की जा सकती है ।

2 नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।

3 मिट्टी खुदाई के दौरान नदी के दोनों किनारे पर बने बाँध में किसी प्रकार की क्षति ना हो । क्षति होने पर उसकी सारी जवाबदेही NHAI की होगी । क्षति होने की स्थिति में आसन्न बाढ़ अवधि के मद्देनजर स्थल पर अविलम्ब सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी NHAI की होगी एवं इसपर होने वाला व्यय NHAI द्वारा वहन किया जायेगा ।

4 मिट्टी खुदाई के दौरान नदी में बने संरचनाओं आदि में किसी प्रकार की क्षति ना हो । क्षति होने पर उसकी सारी जवाबदेही NHAI की होगी ।

5 कार्य करते वक्त जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जाय । नदी के बेड में कार्य कराने के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता को इसकी सूचना दी जायेगी एवं इनके देख-रेख में नदी से खुदाई की जायेगी ।

6 उड़ाही में निकले मिट्टी/बालू का खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को Royality एवं Seignorage fee की राशि का भुगतान NHAI के द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

7 कार्य समाप्ति के बाद अथवा बाढ़ अवधि प्रारम्भ होने के पूर्व (01 जून, 2026 के पूर्व) नदी में जल प्रवाह को सुचारू बनाये रखने निमित नदी से सभी प्रकार के अवरोध को पूर्ण रूप से हटाया जाना आवश्यक होगा ।

8 सड़क, पाईपलाईन आदि जैसे रेखिय परियोजना के लिए साधारण मिट्टी की निकासी के संबंध में बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पत्रांक-170 दिनांक-10.04.2024 से निर्गत पत्र का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय ।

9 उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा । विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

10 बाढ़ अवधि प्रारंभ होने के पूर्व नदी में जल प्रवाह को सुचारू बनाये रखने निमित नदी से सभी प्रकार के अवरोध को हटाया जाना आवश्यक होगा ।

11 नदी से मिट्टी निकासी एवं आवागमन के क्रम में तटबंध/बांध को यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी तत्काल मरम्मति एवं सुदृढ़ीकरण कराने की जिम्मेवारी NHAI की होगी एवं इसका व्यय NHAI द्वारा वहन किया जायेगा ।

12 नदियों में LWL से 0.60 मी0 नीचे तक मिट्टी /गाद की निकासी किया जायेगा ।

13 यह आनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है । अन्य विभागों से यदि आवश्यकता हो तो आनापत्ति प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त किया जायेगा ।

14 NHAI/ संबंधित एजेंसी द्वारा मिट्टी/गाद की निकासी के पूर्व संबंधित स्थल का कार्य के दौरान प्रत्येक 15-15 दिन के अंतराल पर स्थल पर कराये जा रहे मिट्टी/गाद की निकासी तथा मिट्टी/गाद की निकासी की समाप्ति के पश्चात सम्पूर्ण प्रभाग का ड्रोन फोटोग्राफ एवं विडियो जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता को समय-समय पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

15 नदी से मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव, संलग्न Index Map एवं Section (अनुलग्नक-I) के अनुरूप किया जायेगा एवं Clear channel का निर्माण किया जायेगा । साथ ही कार्य के संदर्भ में सूचना विहित प्रपत्र में (अनुलग्नक-II) संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

16 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित NHAI को CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।

17 नदी से मिट्टी/गाद कटाई एवं उठाव रीचवार अपस्ट्रीम से प्रारम्भ की जायेगी तथा बिना कोई गैप रखे निर्दिष्ट दूरी तक करायी जायेगी ।

18 नदी से मिट्टी/गाद की कटाई एवं उठाव बाढ़ अवधि में प्रतिबंधित रहेगा ।

19 उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।

20 यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक-31.05.2026 तक ही मान्य होगा ।

अनु0-यथोक्त्।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांकः-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-III पटना/ दिनांक-

प्रतिलिपिः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना /अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, बिहारशरीफ / कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, एकंगरसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांकः- बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-III 473 दिनांकः-31/01/2026

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

31/1/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय